

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 146 / 2013

दर्ज दिनांक:—29.10.2013

1. प्रेमवती पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. होरीलाल पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दुलीचन्द शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—22.02.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। बार—बार हिदायत देने के बाबजूद भी तलवी प्रतिवादीगण की नहीं कराई गई है। दिनांक 02.11.2015 व 20.11.2017 को भी तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादिया ओ—9नियम5 सी.पी.सी. के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर